and English versions) of the following Ministries/Departments for 1974-75:—

(1) Ministry of Agriculture,

(2) Ministry of Home Affairs,

(3) Ministry of Petroleum and Chemicals,

(4) Ministry of Planning,

(5) Department of Atomic Energy, and

(6) Department of Electronics.

[*Placed in Library. See* No. LT-6652/74].

PAPERS UNDER TARIFF COMMISSION ACT

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI A. C. GEORGE): I beg to lay on the Table—

(1) A copy each of the following papers under sub-section (2) of section 16 of the Tariff Commission Act, 1951:—

(i) Report (1973) of the Tariff Commission on the Review of the Automobile Ancillary Industry.

(ii) Government Resolution No. 11(1)-Tar./73, dated the 29th March, 1974 (Hindi and English versions) notifying Government's decision on the above Report.

(2) A statement (Hindi and English versions) showing reasons why the documents mentioned at (1) above could not be laid on the Table within the period prescribed in sub-section (2) of section 16 of the said Act.

(3) A statement (Hindi and English versions) explaining the reasons for not laying simultaneously the Hindi version of the Report mentioned at (1) (i) above.

[*Placed in Library. See* No. LT-6653/74].

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

THIRTY-NINTH REPORT

SHRI G. G. SWELL (Autonomous Districts): I beg to present the Thirty-ninth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

HUNDRED AND THIRD REPORT

SHRI JYOTIRMOY BOSU: (Diamond Harbour): I beg to present the Hundred and third Report of the Public Accounts Committee on action taken by Government on the recommendations contained in their Fiftieth Report on Chapter V of Audit Report (Civil) 1970 on Revenue Receipts and Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1969-70 Central Government (Civil)—Revenue Receipts relating to Other Direct Taxes.

13.04 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) IRREGULAR ALLOTMENT OF LAND IN DELHI

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर): मैं नियम 377 के अन्तर्गत एक सार्वजनिक महत्व के मामले को उठाना चाहता हूं। नई दिल्ली में एक हाउसिंग सोसायटी है जिसका नाम है न्यू फ्रैंड्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी। दिल्ली के लैफ्टिनेंट गवर्नर इसकी मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। मैनेजिंग कमेटी [illegible] [illegible]

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

के द्वारा नामजद की जाती है । 25 जनवरी को लगभग सोसाइटी के सौ पुराने मेम्बरो को मथुरा रोड पर जो जमीन एलाट की गई थी उस एलाटमेंट को रद्द कर दिया गया यह बहाना बनाकर कि उन मैम्बरो ने अपना पुराना बकाया नही दिया है । 26 जनवरी को लैफ्टिनैंट गर्वनर से सौ नए मेम्बर बनाने की इजाजत मागी गई । 26 जनवरी छुट्टी का दिन था लेकिन लैफ्टिनेट गवर्नर ने सोसाइटी को साठ नए मैम्बर बनाने की अनुमति दे दी । दिल्ली डिवेलेपमेंट आथोरिटी के नियमो के अनुसार अगस्त 1967 के बाद ऐसी सोसाइटियो के नए मैम्बर नही बनाए जा सकते हैं । लेकिन लैफ्टिनेट गवर्नर जो डी .डी. ए. के चेयरमैन है, उन्होने इस मामले मे नियमो को ताक पर रख दिया और नए मैम्बर बनाने की इजाजत दे दी । उन्होने इस बात का भी ध्यान नही किया कि 103 मैम्बर वेटिंग लिस्ट पर हैं और पहले उन्हे मैम्बर बनने का मौका दिया जाना चाहिए । नए मैम्बर बनाने से पहले एक सूचना सार्वजनिक रूप मे दी जानी चाहिए थी कि कुछ मैम्बरो को हटाया जा रहा है कुछ को नए रूप में बनाया जा रहा है लेकिन इस प्रक्रिया की भी अपेक्षा कर दी गई । 28 फरवरी को ये नए मैम्बर बन गए और 5 मार्च को इन नए मैम्बरो को 500 वर्ग गज जमीन जिस की कीमत दो लाख के करीब होगी पुरानी दरों पर जब सोसाइटी बनी थी, एलाट कर दी मेरे पास उन लोगो की लिस्ट है जिन्हे यह जमीन दी गई हैं, पाच पाच सो वर्ग गज जमीन दी गई है । इस मे भारत सरकार के होम सैक्रेट्री श्री एन मुखर्जी हैं, ज्वायट सैक्रेट्री फारेन ट्रेड एड रिलेशन्स श्री एल एन सकलानी है, एडीशनल सैक्रेट्री होम मीनिस्ट्री श्री अशोक सेन हैं श्री बी० कें० नेहरू हैं, म्यूनिसिपल कारपोरेशन के कमिश्नर श्री बी आर टमटा हैं, श्री गोविन्द नारायण हैं, ऑ० बी० बी० लाल आई० सी एस हैं, श्री बी० सा० त्रिवेदी, एक्सटर्नल एफयर्ज सक्रैट्री हैं, श्री बी० मुखर्जी आई० सी० एस० हैं । भारत सरकार के बडे बडे अफसर इस भूमिदान से लाभान्वित हुए हैं । इतना ही नही, कुछ और भी नाम हैं लिस्ट मे जो सार्वजनिक चर्चा का विषय बन चुका है । उन मे एक श्री एम० एस० पाठक है श्रीमती मोहनी बी० गिरि हैं, श्री नरेश कुमार गुजराल भी हैं । इस समय ऐसी कोई बात मैं नही कहना चाहता जिस से सुप्रीम कार्ट के न्यायदान मे कोई बाधा पैदा हो । यह मामला सुप्रीम कोर्ट मे गया । लेकिन सुप्रीम कोर्ट मे जाने से पहले मैंने गृह मत्री को, निर्माण मत्री को और कृषि मत्री का जो सहकारिता समितियो से सम्बन्धित हैं 28 मार्च का इस आशय के पत्र लिखे थे । 29 तारीख का मैने आपका ध्यान खीचने के लिए भी यहा सूचना दी थी । उसके बाद इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट मे हुई और कुछ याचिकाए सुप्रीम कोर्ट ने विचार के लिए स्वीकृत की । उन याचिकाओ को स्वीकृत करते समय चीफ जस्टिस ने जो कुछ कहा है वह बडा चिन्ताजनक है ।

"The undue haste in rushing through the allotment procedure and the list of new allottees speak for themselves."

चीफ जस्टिस के साथ एक और भी जज थे जिन्होने ये याचिकाए सुनी और उन्होने कहा .

"He remarked that what has happened was very unfortunate and the declaration of the defaulters cannot be dis-associated from the allotment of the plots to 60 persons. He further said that he would not hesitate to express his right of indignation, whosoever the persons might be."

मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री महोदय इस मामले के सारे तथ्यों को सदन के सामने रखें। अदालत में मामला पेश है, इसलिए इस सदन को इस काले कारनामे को प्रकाश में लाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर भारत सरकार के बड़े अफसर भारत की राजधानी में केन्द्रीय सरकार की नाक के नीचे सस्ती दर पर जनता की जमीन हथियाने पर तुले हुए है तो उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिये। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री महोदय तथ्यों के बारे में सदन में बयान दें और बताएं कि क्या यह सच है कि लैफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, क्या यह भी सच है कि डी० डी० ए० के नियमों को ताक पर रख कर नए मैम्बर बनाए गए, क्या यह भी सच है कि नए मैम्बर बनाने के बारे में कोई सार्वजनिक सूचना नहीं दी गई, क्या यह भी सच है कि वेटिंग लिस्ट में जो 103 नाम थे उन्हें मौका नहीं दिया गया मैम्बर बनने का और क्या यह भी सच है कि नए मैम्बरों को जो भारत सरकार के बड़े अफसर हैं और राजनीतिक नेताओं के सम्बन्धी हैं सस्ती दरों पर जमीन दे कर, पुरानी दरों पर जमीन दे कर जो पुराने मैम्बर थे उन्हें इससे वंचित कर दिया गया है?

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Sir, the allegations are very serious, specially in view of the fact that there was a CBI enquiry against the same man, the Lt. Governor of Delhi, Shri Baleshwar Prasad. In this case, he had gone to the extent of giving a plot of land to the wife of his nephew, who does not live in Delhi at all and he has financed it, I understand. I want to put some specific questions to the Home Minister: Is it a fact that the Lt. Governor has already got a plot of land in his wife's name Shrimati Uma Prasad, in Jagriti House Building Society? Is it a fact that out of the 60 allocations, 31 were nominated by the Lt. Governor himself and there are many VIPs in the list? Is it also a fact that out of these 60, 14 or 15 are relations of the Managing Committee, Mr. Jagjit Singh, who was the Chairman of the public sector drug understaking in Hardwar? Is it a fact that 15 businessmen who have been given land—one lady has said it—had to pay Rs. 50,000 per head to the Special Assistant of the Lt. Governor, Mr. Jain, who had also acquired a plot of land in his wife's name? Is it also a fact that permission for the build-activities was given by the Lt. Governor without consulting the DDA Engineering Department II and the Town Planning Department? Is it also a fact that no authenticated plans were attached when sanction was given? Is it a fact that the Municipal Commissioner, Mr. Tamta, was influenced by giving a plot in his name? Is it a fact that the service of the area was taken over by the Corporation under the orders of the Lt. Governor, while the rules prohibit it till such time as 50 per cent of the houses have been constructed and not a single house has been constructed? I want answers to

[Shri Jyotirmoy Bosu]

all these questions and also a categorical assurance that the Home Minister will immediately suspend the Lt. Governor and take action against those VIPs who have made us of their official influence to get plots.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): Have the Government considered the observations made by the hon. Judges of the Supreme Court and have they also instituted an in quiry to go into the iregularities, as suggested in the observations of the two judges of the Supreme Court? If they had not done that, do Government propose to institute on inquiry to go into the matter? So far as I see it, the matter does not relate only to the Lt. Governor The Home Secretary, who happens to be the boss of the Lt. Governor is also involved in this. All the wrath shoul not be directed only against the Lt. Governor but against all those bosses in the Secretariat here who seem to be commanding the whole thing.

श्री मधु लिमये (बांका) : अध्यक्ष महोदय इस बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इस केस मे सरकार के द्वारा जो हलफ़नामे दाखिल किये गये हैं, वे तो पब्लिक डाकुमेंट्स हैं—वे सब-जुडिस नहीं हैं — कम से कम उन्हें तो उपलब्ध कराया जाये।

(ii) REPORTED ATTACK ON SHRI NATHURAM MIRDHA'S HOUSE AT JODHPUR.

श्री शिवनाथ सिंह (झुंझुनू) : अध्यक्ष महोदय मैं सदन का ध्यान एक ऐसी समस्या की तर आकर्षित करना चाहता हूं, जिस से सभी माननीय सदस्यों का कनसर्न है। हम ने आज अखबार में देखा है कि संसद् सदस्य श्री नाथू राम मिर्धा के घर पर 6 तारीख की रात कों 2 बजे कुछ फ़ाशिस्ट एलिमेंट्स ने आक्रमण किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। इस मामले का सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार और इस सदन से है। इस सदन के माननीय सदस्यों के घर यहां से दो सौ तीन सौ मील की दूरी पर हैं, लेकिन वहां पर हमारे परिवारो और प्रापर्टी की रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। ढाई तीन सौ गुंडों ने माननीय सदस्य के घर पर आक्रमण किया और उन की अस्सी साल की वृद्ध माता को चोटे पहुंचाई। ये वही फ़ाशिस्ट एलिमेंट हैं जो कही शिव सेना के नाम से कही आनन्द मार्ग के नाम से और कही दूसरे नामों से इस प्रकार की घटनाए करवा रहे हैं।

इस बारे में अखबारो में गलत प्रचार किया गया है। किसी कम्यूनिटी के नाम से इस मामले को तूल देने की कोशिश की गई है। यह किसी कम्यूनिटी या जाति का सवाल नही है। राजस्थान मे जाट और राजपूत बड़े मेल और प्रेम से रहते हैं। इस मामने को जाट और राजपूत का कलर देना ग़लत है। यह आक्रमण फ़ाशिस्ट एलिमेंट्स ने किया है। इस बारे मे केन्द्रीय सरकार का इनटेलिजेंस फ़ेल रहा है। हमारी एक बार्डर स्टेट है जो पाकिस्तान के साथ लगी हुई है। वहां इस प्रकार के षड्यंत्र हो रहे है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जाय।

DR. H. P. SHARMA (Alwar): This is a question which involves the fundamental rights of the Members of this House. If we have always to keep one eye at the back to see what is happening to our families, it will be very difficult. Sir, this is a very serious matter.

MR. SPEAKER: He has already mentioned it. Further, I am on another subject.